जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांकः जीवि/परीक्षा-2/गोपनीय/2020/294 **दिनांक 19.03.2020**

प्रति,
क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक (उच्च शिक्षा)
ग्वालियर चंबल संभाग
मोतीमहल परिसर, ग्वालियर

विषय :- विश्वविद्यालयीन परीक्षाओं की उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु अधीनस्थ महाविद्यालयों को उनके महाविद्यालय में कार्यरत प्राध्यापकों/सहा. प्राध्यापकों को कार्यमुक्त करने हेतु निर्देशित करने बावत्।
संदर्भ :-मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा मंत्रालय, भोपाल का पत्र क्रमांकः172/सीसी/20/38 दिनांक 28.02.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयक लेख है कि विश्वविद्यालयीन स्नातक वार्षिक मुख्य परीक्षा 2020 अपनी समाप्ति की ओर हैं। विभिन्न कक्षाओं की उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु महाविद्यालयों में कार्यरत प्राध्यापकों/सहा. प्राध्यापकों की सेवाओं की आवश्यकता है। मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा विश्वविद्यालयीन परीक्षा को अनिवार्य सेवा की श्रेणी में मान्य किया गया है। लेकिन विभिन्न महाविद्यालयों के प्राचार्यो के द्वारा मूल्यांकन कार्य हेतु शिक्षकों को कार्यमुक्त नहीं किया जाता है।

अतः आपसे अनुरोध है कि आप अपने अधीनस्थ महाविद्यालयों के प्राचार्यों को निर्देशित करने का कष्ट करें कि विश्वविद्यालय द्वारा मूल्यांकन कार्य हेतु आपके महाविद्यालय में कार्यरत प्राध्यापकों/सहा.प्राध्यापकों को जब भी मूल्यांकन कार्य हेतु नियुक्त किया जाये, उन्हें उक्त कार्य हेतु तत्काल कार्यमुक्त कर परीक्षा अनिवार्य सेवा के कार्य में सहयोग प्रदान करें।

कुलसचिव

प्रतिलिपिः-

1. आयुक्त (उच्च शिक्षा) मध्यप्रदेश शासन, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
2. कुलपति के सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
3. कुलसचिव के निज सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
4. उप/सहा. कुलसचिव (परीक्षा/गोप.), जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।

उप-कुलसचिव(परीक्षा/गोप.)

विभिन्न पत्र